उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 328–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि–2022–18/14 टी0सी0 दिनांकः 10 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

याचिका संख्या–2386/एस0एस0/1994–विद्युत परिषद आशुलेखक संघ बनाम उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद, स्पेशल अपील (डी) संख्या–180/2015 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम विद्युत परिषद आशुलेखक संघ के सन्दर्भ में कारपोरेशन द्वारा निवेशित (सी0एम0ए0) संख्या–9410/2018 एवं संख्या–9411/2018 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 12.09.2019 को पारित किये गये निर्णय का प्रभावी अंश निम्नवत् है :–

The review application has pressed a reference of the office memorandum dated 03.11.2008. Therein a reference of the earlier circulars, set aside by this Court, has been given. We find that by virtue of the office memorandum dated 03.11.2008, the anomaly in the pay-scale has been taken away and accordingly prayer made by the counsel appearing for the Uttar Pradesh Power Corporation Limited to clarify the judgment is worth acceptance and accordingly this review application is accepted to clarify that while the office memorandums dated 02.03.1988, 04.07.1988 and 01.11.1993 have been struck down, it will not affect the subsequent office memorandum dated 03.11.2008 rather it will operate and consequential benefit would be given to the petitioners for which necessary order for notional fixation has already been issued and accordingly it would be given effect.

The order in the present review application would operate only on the employees involved in the litigation and not for others.

2. आशुलिपिकों (वादीगणों) के सन्दर्भ में पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0–266–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2018–7(9)–काविनी एवं वे0प्र0/14, दिनांक 07.03.2018 द्वारा आदेश निर्गत हैं कि आशुलेखक संवर्ग के देयों के सम्बन्ध में कार्यवाही वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.01.2017 के विरूद्ध उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होगी।

3. मा० न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.09.2019 के समादर में आदेशित किया जाता है कि आशुलिपिकों के सन्दर्भ में निर्गत कारपोरेशन के पूर्व आदेश सं0 क्रमशः 311–पी/राविप–30–4पी–1986 दिनांक 02.03.1988, सं0–1031–पी/राविप–30–4पी–1986, दिनांक 04.07.1988 तथा सं0–2187–काविनी/राविप–29/93–4पी/86 दिनांक 01.11.1993 के निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप भी कार्यालय ज्ञाप सं0–1178–काविनी एवं वे०प्र०29/08/पाकालि–4(31)पी/86(टी0सी0), दिनांक 03.11.2008 द्वारा निर्गत किये गये आदेश यथावत प्रभावी माने जायेंगे एवं तद्नुसार ऐसे आशुलिपिक श्रेणी–तृतीय, जो वाद सं0–2386/एस०एस०/1994–विद्युत परिषद आशुलेखक संघ बनाम उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद में वादी थे, को उनकी नियुक्ति की तिथि से वेतनमान रू0 1350–2160 को प्रकल्पित वेतनमान मानते हुए प्रकल्पित वेतन निर्धारण किया जायेगा।

4. मा० न्यायालय के निर्णयानुसार उपरोक्त आदेशित कार्यवाही केवल प्रश्नगत वाद से सम्बन्धित वादीगणों के सन्दर्भ में ही की जायेगी तथा अन्य किसी कार्मिक हेतु लागू नही होगा।

5. कार्यालय ज्ञाप सं0–1178–काविनी एवं वे०प्र०29/08/पाकालि–4(31)पी/86(टी0सी0), दिनांक 03.11.2008 की अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

उपरोक्तानुसार (सी०एम०ए०) सं0–9410/2018 एवं सं0–9411/2018 में दिनांक 12.09.2019 को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित किये गये निर्णय का अनुपालन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–665–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2021, दिनांक 23.07.2021 द्वारा कर दिया गया है।

अतः उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 30.04.2022 को सम्पन्न हुई 82वीं बैठक में पारित निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–665–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2021, दिनांक 23.07.2021 को उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 में एतद्द्वारा अंगीकृत करते हुए आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेशित कार्यवाही प्रश्नगत वाद से सम्बन्धित उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के उन वादीगणों के सन्दर्भ में ही अंगीकृत की जाती है, जो प्रश्नगत वाद में पक्षकार रहे हैं, अन्य किसी कार्मिक हेतु लागू नहीं होगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या– 328(I)–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ के निजी सचिव।
4- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
8- संयुक्त सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
11- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
12- सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
13- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
14- अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.upptcl.org पर शीर्ष प्राथमिकता पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल पाठक)
उप सचिव (पारेषण–तृतीय)